भारत सरकार

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2312

दिनांक 25.04.2012 को उत्तर दिए जाने के लिए

हस्तशिल्प निर्यातों में गिरावट

2312: श्री प्रकाश जावडेकर:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2008–09 से हस्तशिल्प निर्यातों में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा हस्तशिल्प बुनकरों को मुआवजा देने और निर्यात में वार्षिक रुप से वृद्धि करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी)

(क) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद तथा कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2008–09 के दौरान हस्तशिल्प निर्यात में गिरावट आई। उसके बाद, निर्यात में बढ़ोतरी का रुख दिखाई दिया है।

(ख) वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान हस्तशिल्प तथा हस्तनिर्मित कालीनों व अन्य फर्श बिछावनों के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(मूल्य करोड़ रुपए में)

वर्ष	हस्तशिल्प	हस्तनिर्मित कालीन व अन्य फर्श बिछावन	कुल
2008–09	8183.12	2708.73	10891.85
2009–10	8712.94	2505.33	11218.27
2010–11	10533.96	2992.70	13526.66
2011–12	12975.25	3876.02	16851.27

वर्ष 2008–09 में वैश्विक मन्दी के कारण हस्तशिल्प और हस्तनिर्मित कालीनों तथा अन्य फर्श बिछावनों के निर्यात में गिरावट आई।

(ग) भारत सरकार ने हस्तनिर्मित कालीनों व अन्य फर्श बिछावनों सहित भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं:–

- विदेशों में मेले/प्रदर्शनियों में भाग लेना।
- विदेशों में प्रदर्शनियों में थिमेटिक डिसप्ले और शिल्पों का सजीव प्रदर्शन।
- भारत और विदेश में क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित करना।
- विदेशों में प्रौद्योगिकी, पैकेजिंग, नीतियों आदि के संबंध में सेमिनार, प्रचार और जागरुकता कार्यक्रमों के जरिए हस्तनिर्मित कालीनों व अन्य फर्श बिछावनों सहित भारतीय हस्तशिल्प की ब्राण्ड छवि को बढ़ावा देना।
- उत्पाद विशिष्ट प्रदर्शनों के अलावा वर्ष में दो बार भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले आयोजित करना।
- भारत सरकार के एम डी ए/एम ए आई स्कीम के अधीन भागीदारी प्रदान करना।
- सभी हस्तशिल्प निर्यात विशेष केन्द्रित उत्पाद के रुप में जाने जाते हैं और वे उच्च प्रोत्साहन के पात्र होते हैं।
- पोत भरण पूर्व (प्री–शिपमेंट) और पोत भरण पश्चात (पोस्ट–शिपमेंट) निर्यात ऋण पर 2% की ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- सरकार हस्तशिल्प क्षेत्र की सहायता छः जेनेरिक स्कीमों नामशः (i) बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई); (ii) डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन; (iii) विपणन सहायता व सेवाऐं; (iv) अनुसंधान और विकास; (v) मानव संसाधन विकास और (vi) हस्तशिल्प कारीगरों के लिए व्यापक कल्याण स्कीमों के कार्यान्वयन के जरिए भी करती है ।

.....